

## योगी ने कड़ाके की ठंड में भी आयोजित किया जनता दर्शन

कहा- किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, तत्काल एक्शन लें अधिकारी



गोरखपुर (संवाददाता)। जिले में कड़ाके की ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और त्वरित व संतुष्टिपरक समाधान का भरोसा दिया।

आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि हर पीड़ित की समस्या पर तत्काल एक्शन लें। इसमें हीलाहवाली अक्षम्य होगी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास

के दौरान मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं।

सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जनता दर्शन का आयोजन मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में किया गया।

यहां कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक फरियादी से मिले।

## सुरक्षाबलों ने मार गिराए 20 नक्सली मुख्यमंत्री बोले, अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद



रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंगलवार को राज्य में माओवादी गतिविधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की अपनी सरकार की नीति की पुष्टि की और इसे समाज के लिए कैंसर बताया। उन्होंने यह बयान हाल ही में गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ पर दिया, जिसमें 20 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में शानदार काम किया और नक्सलियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने बताया, गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत कुल्हाड़ी घाट के पास हमारे सुरक्षा बलों की माओवादियों से मुठभेड़ हुई। अब तक एक दर्जन से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। एक सप्ताह के भीतर नक्सलियों के साथ दो बड़ी मुठभेड़ हो चुकी हैं। साय ने कहा, हमारे जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है और हमारी सरकार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। माओवाद एक कैंसर की तरह है और हम इसे पूरी तरह से नष्ट करने में सफल होंगे। हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संकल्प को पूरा करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन में शामिल सुरक्षाकर्मियों के साहस की भी सराहना की और कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और 31 मार्च 2026 तक यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं हमारे सुरक्षा बल के जवानों के साहस को सलाम करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं.. नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और हम इसे 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर देंगे। इससे पहले रायपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा के पास छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान 20 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। आईजी मिश्रा के एक बयान के अनुसार, सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया, जिसमें एके-47, एसएलआर, इंसास और अन्य स्वचालित हथियार शामिल हैं। इस बीच, गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने एक बयान में कहा कि गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप ई30, कोबरा 207, सीआरपीएफ 65 और 211



बटालियन और एसओजी नुआपाड़ा द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शव बरामद किए गए। एसपी के अनुसार, सुरक्षा बलों ने नक्सली सेंट्रल कमेटी के सदस्य जयराम उर्फ घ्चलपति को भी मार गिराया, जिस पर एक करोड़ का इनाम था। रविवार को शुरू किए गए इस अभियान में माओवादियों के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मारे गए तथा एसएलआर राइफल जैसे स्वचालित हथियारों सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। इस घटनाक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह नक्सलवाद के लिए एक बड़ा झटका है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, नक्सलवाद को एक और करारा झटका। नक्सलवाद आज अंतिम सांस ले रहा है।

## मुलायम को राजू दास की टिप्पणी अशोभनीय : निषाद

बहराइच। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी के बाद सियासत गर्मा गई है। निषाद संविधान यात्रा को लेकर बहराइच पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि महंत राजू दास की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर की गई टिप्पणी गलत है। उन्होंने कहा, जिस महापुरुष को देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया हो, उसके बारे में इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। वह पिछड़ों की आवाज रहे हैं और देश के सम्मानित नेता रहे हैं। हम लोग उनके संघर्षों के साथी रहे हैं। आज हमारी जो पहचान बनी है, उसमें मुलायम सिंह यादव का भी योगदान रहा है। मेरा मानना है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अगर जीत का परचम लहराना है तो मछुआरा समाज को साथ लेना होगा। मछुआरा समुदाय की आवाज को सुनना होगा, अन्यथा आगामी चुनाव में परिणाम सार्थक नहीं होंगे।

## सीएम उमर अब्दुल्ला के दौरों को लेकर बडाल के लोगों में जगी उम्मीद



राजौरी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी के बडाल गांव में एक रहस्यमय बीमारी से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक इस बीमारी की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां आ रहे हैं। वो प्रभावित लोगों से इसे लेकर मुलाकात कर सकते हैं।

इस बीच, यहां के कई स्थानीय लोगों ने आईएनएस से बातचीत की है। एक स्थानीय बाशिंदे ने कहा कि आज मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। अब हमारी स्थिति कुछ इस तरह से बन चुकी है कि दिल में दर्द हो तो दुआ कीजिए, लेकिन अगर दिल ही दर्द हो, तो क्या कीजिए। यहां पर एक के बाद एक लाश को कंधा देना पड़ा है। यह हमारे लिए बहुत ही दुख और दर्द की बात है। हमारे साथ कई बुजुर्ग भी हैं। इन्होंने भी कभी ऐसे हालात नहीं देखे। यहां कई लोगों के परिवार कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। जो घर आबाद

थे, वो अब खामोश शहरों में तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। उनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं।

सवाल यह है कि क्या इसके पीछे किसी की साजिश है या कोई चाल चली जा रही है। अगर ऐसा कुछ है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। सीएम साहब आखिरी हद तक हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरह से डर और दहशत का माहौल है। लोगों के जेहन में इसी बात का डर है कि कहीं इस घर के बाद मेरे घर की बारी ना हो। उन्होंने कहा कि आखिर इसके पीछे के क्या कारण है। यह सामने आए। हम मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए।

वहीं, एक अन्य स्थानीय बाशिंदे ने कहा कि यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि 17 लोग हमें छोड़कर चले गए। हर मजहब के लोग आए हैं। हमें

संवेदना दी है। हम इसके पीछे की वजह जानना चाहते हैं। अगर इंसान द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से ऐसा हो रहा है, तो वो भी सामने आना चाहिए या अगर यह अल्लाह की ओर से हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि वो भी सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक जितने भी लोग आए हैं, और जितने भी लोग आएंगे, हम उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। हम मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे लोगों के लिए कुछ करें।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के राजौरी इलाके में एक रहस्यमयी बीमारी से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। इस बीमारी से लोगों को बचाने के लिए केंद्रीय टीम ने कमर कस ली है। प्रभावितों को जरूरत की सभी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। 2024 के दिसंबर से राजौरी में यह बीमारी बड़े पैमाने पर लोगों को अपनी चपेट में ले रही है।

सात दिसंबर को पहली बार इस बीमारी की चपेट में आने से एक परिवार में सात लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 12 दिसंबर 2024 को इस बीमारी की चपेट में तीन बच्चों की मौत हो गई। इस माह 12 जनवरी को एक परिवार में 10 लोग बीमार पड़ गए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने इस बीमारी को लेकर जांच करने का निर्देश भी दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर यह कैसे और क्यों हो रहा है?



## सम्पादकीय

## दोषी को सजा और समाज की जिम्मेदारी

प. बंगाल में आरजी कर अस्पताल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी संजय राँय को सोमवार को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे दो दिन पहले अदालत ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। अदालत ने इस मामले को जघन्य तो माना, लेकिन दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना, इसलिए दोषी को मृत्युदंड न देकर मरने तक उम्रकैद दी गई है। हालांकि प.बंगाल सरकार ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट में उम्रकैद को सही नहीं मानते हुए दोषी को फांसी देने के लिए याचिका दायर की है, जो मंजूर तो कर ली गई है, लेकिन इस पर सुनवाई कब होगी, यह अभी तय नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा— मुझे पूरा विश्वास है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, जिसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट यह कैसे कह सकता है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है? वहीं भाजपा ने भी इस मामले में उम्रकैद मिलने पर अपनी नाराजगी जताई और इसके लिए ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जबकि भाजपा यह जानती है कि मामले की पूरी जांच सीबीआई की निगरानी में हुई और उसके द्वारा पेश तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही दोषी को सजा दी गई है। अगर भाजपा को आपत्ति दर्ज करनी ही है तो उसे फिर सीबीआई पर भी सवाल उठाने चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां न्याय से अधिक राजनीतिक लाभ लेने का खेल चल रहा है। वैसे पीड़िता के परिजन भी इस फैसले से निराश हैं और उन्होंने भी बड़ी अदालत में याचिका दायर करने का फैसला किया है। सियालदह अदालत ने दोषी को सजा के साथ-साथ पीड़िता के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अदालत ने डॉक्टर की मौत के लिए 10 लाख और बलात्कार के लिए 7 लाख मुआवजा तय किया। इस दौरान कोर्ट में मौजूद ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने हाथ जोड़कर कहा कि हमें मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए। इस पर जज ने कहा— मैंने कानून के मुताबिक यह मुआवजा तय किया है। आप इसका इस्तेमाल चाहे जैसे कर सकते हैं। इस रकम को अपनी बेटी के बलात्कार और हत्या के मुआवजे के तौर पर मत देखिए। बात सही है कि इस जघन्य अपराध का कोई मुआवजा तय ही नहीं हो सकता, फिर भी अदालत ने कानून के दायरे में जो उचित था, वैसा फैसला सुनाया। पीड़िता के माता-पिता ने यह दावा भी किया है कि जांच ठीक से नहीं हुई है। कई लोगों को बचाया गया है। इस बारे में अदालत ने भी पुलिस और अस्पताल के रवैये की आलोचना की है। अस्पताल की तरफ से घटना की जानकारी देने में देर की गई और उसके बाद पुलिस ने केस दाखिल करने में देर की। दो पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर अदालत ने टिप्पणी की, इस बात में कोई शक नहीं कि अधिकारियों द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि इस मौत को आत्महत्या दिखाया जाए ताकि अस्पताल पर कोई बुरा असर न पड़े। जज ने अपने फैसले में कहा, चूंकि जूनियर डॉक्टरों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, इसलिए ये गैर कानूनी सपना पूरा नहीं हो पाया। अदालत की यह टिप्पणी काफी गंभीर है, क्योंकि समाज में अनेक महिलाएं ताउम्र केवल इसलिए नाइंसाफी का शिकार बनी रहती हैं क्योंकि किसी न किसी वजह से दोषी को बचाने या मामले को दबाने की कोशिश की जाती है। इसमें अगर राजनीति का खेल शुरू हो जाता है, तब तो बात और बिगड़ जाती है। आर जी कर मामले में ही देश ने देखा कि किस तरह भाजपा ने इसे ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले निर्भया मामले में भी भाजपा का रवैया ऐसा ही था। लेकिन कटुआ, हाथरस, उन्नाव जैसे मामलों में भाजपा का रवैया दूसरा ही रहा। मणिपुर की घटना पर तो अंतरराष्ट्रीय मंचों से आलोचना हुई, लेकिन फिर भी भाजपा की तथाकथित डबल इंजन सरकार नाकारा साबित हुई। यही हथ्र महिला पहलवानों के संघर्ष का भी रहा, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत करती रहीं, मगर आरोपी सत्ताश्रय में मजे से रहे। आर जी कर मामले के दोषी संजय राँय को चाहे मरने तक जेल में रहना पड़े या उसे बड़ी अदालतों से मौत की सजा मिल जाए, इससे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार रुकेगा, इसका दावा नहीं किया जा सकता। निर्भया मामले में भी दोषियों को फांसी की सजा हुई, लेकिन इससे महिलाओं के लिए असुरक्षित और नकारात्मक माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए केवल कानूनी या अदालती कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, इसमें हर तरह से सजगता चाहिए। आर जी कर मामले में ही सीबीआई ने आरोपपत्र में कहा कि संजय राँय को बलात्कार या हत्या का कोई पछतावा नहीं है, उसका व्यवहार जानवरों जैसा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राँय की कई शादियां भी हो चुकी हैं। यानी उसके चरित्र के सारे दाग अब दिखलाए जा रहे हैं। लेकिन इसी संजय राँय ने 2019 में कोलकाता पुलिस में डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करना शुरू किया था, तब उसकी पूरी पृष्ठभूमि क्यों नहीं खंगाली गई, यह बड़ा सवाल है। अगर तब उसकी असलियत पता चल जाती तो शायद एक लड़की की जान बच जाती। क्योंकि पुलिस के लिए स्वयंसेवी के तौर पर काम करने के बाद संजय वेलफेयर सेल में चला गया। और अपने संपर्कों की बदौलत उसने कोलकाता पुलिस की चौथी बटालियन में घर भी ले लिया। इस घर की वजह से ही आरजी कर अस्पताल में उसे नौकरी मिली। बताया जाता है कि वह अक्सर अस्पताल की पुलिस चौकी पर तैनात रहता था, जिससे उसे सभी विभागों में आने-जाने की छूट मिली थी। संजय राँय जैसे कितने ही दरिंदे इंसानों की शकल में हमारे आसपास घूमते रहते हैं, जिन्हें समाज या प्रशासन की लापरवाही के कारण अपराध करने की छूट मिल जाती है।

## नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक मुहिम के मिलने लगे हैं बेहतर नतीजे

निर्मल सिंह

आमतौर पर नक्सली, आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड के मास्टरमाइंड अपने पूरे जमात के साथ भारतीय गणतंत्र के लिए चुनौती समझे जाते हैं। इसलिए सुरक्षाबलों ने 76वें गणतंत्र दिवस से महज कुछ दिन पहले नक्सलियों के खिलाफ जो निर्णायक कार्रवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन चलाए हैं और एक दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है, वह तिरंगे और संवैधानिक गणतंत्रिक व्यवस्था को सच्ची सलामी है। इसलिए देशवासियों की अपेक्षा है कि सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई और अधिक तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही हम उनके नापाक हौसले को तोड़ सकते हैं। देखा जाए तो चाहे अंतर्राष्ट्रीय थल या समुद्री सीमा से सटे प्रदेश हों या हमारे आंतरिक प्रदेश, यहां पर नक्सलियों, आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड सरगनाओं की मौजूदगी और उनके माफ़त जब-तब होते रहने वाली हिंसात्मक घटनाएं एक ओर जहां शासन व्यवस्था और अमनपसंद लोगों को मुंह चिढ़ाती हैं, वहीं दूसरी ओर धनी लोगों के भयादोहन का कारण भी बनती हैं। चूंकि अवैध मानव वस्तु तस्करी, ड्रग्स सिंडिकेट, अवैध हथियारों के कारोबार, फिरौती, विवादास्पद सम्पत्तियों की खरीद-फरोख्त आदि से इनके तार जुड़े होते हैं, इसलिए सफेदपोश नेताओं-समाजसेवियों-कथित अधिकारियों-उद्योगपतियों आदि के माध्यम से इनके सरगना भी परस्पर मिले हुए होते हैं। आम धारणा रही है कि इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दलों और स्थानीय नेताओं से इनकी गुप्त साठगांठ रहती है! और यही इनके तार कथित राष्ट्रीय नेताओं और

अर्बन नक्सलियों-अपराधियों-आतंकवादियों के सिंडिकेट तक से जोड़ते हैं। यही वजह है कि प्रशासन भी सियासी कारणों के चलते इनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पाता है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, पंजाब से लेकर उत्तर-पूर्वी राज्यों की आतंकी घटनाएं हों, या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र व बिहार की नक्सली घटनाएं, या फिर बड़े महानगरों से लेकर जिलास्तरीय शहरों की अंडरवर्ल्ड वारदातें, इनके तार परस्पर जुड़े बताए जाते हैं। कहना न होगा कि इनमें से कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मजबूती के पीछे भी इनकी राष्ट्रविरोधी सोच होती है, जिन्हें बरास्ता नेपाल, पाकिस्तान व चीन का भी संरक्षण हासिल होता है। वहीं, कांग्रेस समेत कई बड़े क्षेत्रीय दल भी इनके नेक्सस के समक्ष घुटने टेक चुके हैं। जबकि इन सभी बातों से उलट केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी भाजपा नीत एनडीए की सरकार और उड़ीसा-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र की भाजपा प्रदेश सरकारों की संगठित अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रोत्साहित होकर सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त रणनीति बनाकर नक्सलियों-दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का जो बीड़ा उठाया है, उसकी एक झलक ताजा कार्रवाई से मिलती है। गौरतलब है कि भारत में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक और बड़ी सफलता तब मिली, जब गत दिनों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व

पुलिस बल (बल्थ), छत्तीसगढ़ के एसओजी (स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप) और ओडिशा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 14 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से की गई त्वरित और रणनीतिक कार्रवाई को एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में हथियार और बाकी सामग्री भी बरामद की गई जो नक्सली गतिविधियों को और बढ़ावा दे रही थी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, सुरक्षा बलों के इस संयुक्त ऑपरेशन में नक्सल आंदोलन का एक प्रमुख सरगना, जयराम चलपती को ढेर किया गया। क्योंकि जयराम को नक्सली हिडमा का गुरु माना जाता था और नक्सली गतिविधियों में उसकी अहम भूमिका थी। जयराम पर 1 करोड़ रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों के लिए जयराम की तलाश एक बड़ी चुनौती थी। ऐसा इसलिए कि वह नक्सलवादी समूहों के लिए एक अहम रणनीतिक सोच के रूप में काम करता था। उसकी मृत्यु से न केवल छत्तीसगढ़ और ओडिशा बल्कि पूरे देश में नक्सलवादी आंदोलन को एक बड़ा झटका लगा है। बताया जाता है कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने में छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा बलों ने मिलकर जयराम और उसके साथी नक्सलियों के खिलाफ लंबे समय से सख्त अभियान चलाया था। यही वजह है कि गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर इस सफलता पर बधाई दी और सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नक्सल मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में एक और अहम कदम है।

बता दें कि भारत सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि देश को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए। ये ऑपरेशन उस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है जो सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। समझा जा रहा है कि जयराम की मौत के बाद अब नक्सलियों के मनोबल को भारी झटका लगेगा और उन्हें पुनः अपनी ताकत को संगठित करना मुश्किल होगा। सुरक्षा बलों की ये सफलता न केवल एक बड़ी सैन्य जीत है बल्कि ये देश के नागरिकों के लिए एक संदेश भी है कि नक्सलवाद का खात्मा अब बिल्कुल नजदीक है। बता दें कि एक साल पहले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को जो हरी झंडी दी थी, उसके तहत एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है। उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सटीक रणनीति का ही यह तकाजा है कि हाल ही में 14 नक्सली एक मुठभेड़ में मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि एक साल पहले 21 जनवरी 2024 को गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के शीर्ष नेतृत्व एवं सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी, जिसमें नक्सलवाद को खत्म करने के रोडमैप को हरी झंडी दी थी। वहीं, छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के विपरीत नवनियुक्त विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस



रोडमैप को अमली जामा पहनाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शित की, जिसका बेहतर नतीजा सबके सामने है। गौरतलब है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बनाए गए अमित शाह के रोडमैप में तीन अहम बिंदू हैं। पहला, नक्सलियों के कोर इलाके में सुरक्षा बलों की अग्रिम चौकियां स्थापित कर सुरक्षा गैप को भरना, दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून का इस्तेमाल कर ईडी की मदद से नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग के स्रोत को पूरी तरह से बंद करना, और तीसरा गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून का इस्तेमाल पर नक्सली गतिविधियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ एनआईए की जांच कराकर कड़ा सजा सुनिश्चित करना। कहना न होगा कि तीनों ही फ्रंट में राज्य प्रशासन के सहयोग से बेहतरीन काम हुआ। मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 के बाद सुरक्षा बलों की 290 अग्रिम चौकियां स्थापित की गईं, जिनमें अकेले साल 2024 में 58 अग्रिम चौकियां स्थापित करना शामिल हैं। वहीं, इस साल 2025 में सुरक्षा बलों की कुल 88 अग्रिम चौकियां स्थापित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, राज्य सरकारें, ईडी और एनआईए ने नक्सल फंडिंग से जुड़ी 72 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं। वहीं, एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ कुल 96 मामलों की जांच कर रही है, जिनमें 56 मामले पिछले तीन साल में दर्ज किये गए। इनमें से 77 मामलों में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है।

एक्सपर्ट बताते हैं कि कहने को अग्रिम सुरक्षा चौकियों का गठन छोटी बात लग सकती है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान में यह कारगर रणनीति साबित हो रही है। क्योंकि अग्रिम सुरक्षा चौकियां बनने से उसके तीन-चार किलोमीटर के दायरे में नक्सलियों के लिए अपनी गतिविधि चलाना संभव नहीं रहता है। वहीं, दूसरी बात यह है कि इन चौकियों के सहारे सरकारी तंत्र और लोक कल्याणकारी व विकास योजनाएं भी ग्रामीणों तक पहुंच रही हैं। वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक अबूझमाड़ से लेकर दंडकारण्य और उससे आगे तक फैले नक्सल प्रभाव वाले पूरे इलाके में हर तीन-चार किलोमीटर पर एक सुरक्षा अग्रिम चौकी स्थापित कर करने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि इन अग्रिम चौकियों का ही कमाल है कि वर्ष 2023 में जहां मात्र 50 नक्सलियों को मार गिराया गया था, वहीं उसकी तुलना में साल 2024 में 290 नक्सली मारे गए हैं। यही नहीं, इस साल 2025 में 21 जनवरी तक 48 नक्सली मारे जा चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ष 2025 में स्थापित होने वाले नए 88 अग्रिम सुरक्षा चौकियों की स्थापना से सुरक्षा बलों के आपरेशन की ताकत में और इजाफा होगा।



# 'नो हेल्मेट, नो फ्यूल' नियम के पालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी

फतेहपुर। जिला पूर्ति अधिकारी, फतेहपुर ने बताया कि श्मो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर के कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशानुपालन में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप स्वामियों संचालकों की बैठक आहूत की गयी। बैठक में श्मो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम को जनपद में 26 जनवरी से पूरी तरह लागू कराये जाने हेतु ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों एवं पेट्रोल पंप स्वामियों/संचालकों को निर्देशित किया गया। श्मो हेल्मेट, नो फ्यूल नियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सभी पेट्रोल पंप संचालकों/स्वामियों को निर्देशित किया

गया कि सभी पंपों में (ऐसे स्थान पर जहां पर लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे) इस आशय के बड़े-बड़े होर्डिंग का प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाये कि 26 जनवरी से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो। किसी

## बस ट्रेलर से भिड़ी, एक छात्रा मरी 14 घायल

फतेहपुर (संवाददाता)। जिले में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। छात्राओं को आईआईटी कानपुर विजिट के लिए ले जा रही बस कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि दो महिला टीचर समेत 14

विवाद आदि की स्थिति से बचने के लिये सभी पेट्रोल पंपों के स्वामियों/संचालकों को पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से 24 घंटे चालू रखने के निर्देश दिये गये। ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

लोग गंभीर रूप से घायल हुई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने सभी घायलों को नजदीक के पीएचसी और सीएससी में भर्ती कराया है। वहीं घटना में गंभीर रूप से 3 अन्य घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को सुबह करीब 9 बजे विजिट में लेकर कानपुर आईआईटी के लिए 3 बसें रवाना हुई थीं। तीनों बसों में कुल टीचर समेत करीब 180 छात्राएं सवार थीं। बताया जा रहा है कि इस बीच दो बसें आगे निकल गई थीं। वहीं पीछे चल रही एक बस में 60 छात्राएं बैठी थीं। जैसे ही यह बस आँग थाना क्षेत्र के छिवली नदी के पास पहुंची तभी पहले से एनएच-2 हाईवे पर खड़े ट्रेलर के पीछे भिड़ गई। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे होते ही बस में सवार सभी लोगों में चीख पुकार मच गई।

# बस के चालक के खिलाफ रिपोर्ट संचालक पर भी कार्रवाई की तलवार

फतेहपुर (संवाददाता)। नेशनल हाईवे पर छिवली नदी के पास मंगलवार छात्रों से भरी बस ट्रेलर के पीछे से जा टकराई। इसमें एक छात्रा की मौत हो गई। 21 छात्राएं, शिक्षिकाएं व एक कर्मी घायल हुआ था। जांच में यह बात सामने आई है कि बस संचालक ने लापरवाही बरती। बस में मेडिकल सुविधा से लेकर

सुरक्षा तक इंतजाम नहीं मिले। वहीं, एआरटीओ के अधिकारी ने बताया कि जांच में बस संचालक की लापरवाही पाई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

वहीं, आँग थाने में बस के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बिंदकी की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से 55 छात्राएं, दो शिक्षक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मी और ड्राइवर समेत 59 लोग बस में बैठे थे। जबकि, बस की क्षमता चालक समेत 55 सीटर है। इसके बावजूद अधिक सवारियां बैठाई। बस की पड़ताल के दौरान सामने आया कि फायर से निपटने के लिए सिलिंडर और फर्स्ट एड बाक्स ही नहीं था। चालक की सीट बेल्ट ही नहीं थी। पीछे के गेट में सीट लगाकर बंद कर दिया गया था। इससे हादसे के बाद पीछे का गेट नहीं खुला।

छात्राओं को एक छोटे इमरजेंसी गेट व खिड़की के शीशे तोड़कर निकाला गया। इससे भी कई को चोट पहुंची। ऐसी हालात में बसों के संचालन से लोगों की जान जोखिम में है। इधर आँग थाना प्रभारी हनुमान प्रातप सिंह ने बताया कि चौकीदार की तहरीर पर बस के अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

## दुकान में मिठाई कारीगर का शव फंदे से लटका मिला

फतेहपुर (संवाददाता)। मिठाई कारीगर का मंगलवार रात दुकान के अंदर शव फंदे से लटका मिला। दुकानदार परिवार पर पीटकर फंदे में लटकाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस आत्महत्या का मामला मान रही है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी जय प्रकाश तिवारी (27) मिठाई कारीगर था। वह कस्बा स्थित देव मिष्ठान भंडार में कई साल से काम करता था। रात को दुकान में ही रुकता था। उसका दुकान में ही रात को फंदे से शव लटका देखकर दुकानदार के पुत्र गोलू ने पुलिस को खबर दी। गोलू के मुताबिक कारीगर रात को नशे में था। वह घर जाने कि जिद कर रहा था। नशे कि हालत देखकर बाइक की चाबी ले ली थी। उसके बाद दुकान के बाहर लूडो खेल रहे थे। टिफिन लेने दुकान पहुंचा। पंखे के कुंडे पर कारीगर का शव लटका हुआ था। हादसे की सूचना पर कारीगर की मां आशा देवी, भाई ओम प्रकाश, शिव प्रकाश व शिव प्रसाद पहुंचे। मां ने बताया कि रात को बेटे ने फोन किया था। उसने खुद के साथ मारपीट किए जाने की बात कही थी। उसे पीटकर फंदे में लटकाया गया है। उसकी पत्नी पूजा की तीन साल पहले मौत हो चुकी है। उसका एक बेटा शशीकांत व बेटा राधिका है। थानाध्यक्ष प्रमोद मौर्या ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच की जाएगी।

## दुष्कर्म के बाद चाकू सटाकर महिला को धमकाने वाले को 10 साल की कैद

फतेहपुर (संवाददाता)। दुष्कर्म के बाद अनुसूचित जाति की महिला को चाकू सटाकर धमकी देने वाले को कोर्ट ने 10 साल की कैद सुनाई है। छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। धाता थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला 10 जून 2022 की रात छत पर सो रही थी। एक गांव का सद्दाम रात करीब दो बजे दीवार के सहारे छत पर चढ़कर पहुंचा था। महिला का मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। विरोध पर लात-घूसों से पीटा। पीटाई के बाद गर्दन में चाकू रखकर पुलिस से शिकायत पर हत्या की धमकी दी। महिला का शोर सुनकर परिजन पहुंचे। परिजनों को धमकी देकर भाग निकला था। पुलिस ने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी की रिपोर्ट दर्ज की। मामले में छह लोगों की गवाही हुई। सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार ने सद्दाम को दोषी करार दिया। दुष्कर्म में 10 साल कैद व छह हजार रुपये अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश किया है।

## शादी समारोह में किन्नरों के बीच मारपीट

फतेहपुर (संवाददाता)। जिले के थरियांव थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शुभ नेग लेने के चक्कर में दो गुटों के किन्नर आपस में भिड़ गए। मारपीटमें एक किन्नरको गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज केलिए अस्प ताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित किन्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के पीरनपुर निवासी फूलन बाई गुरु इकबाल भाई ने थाने में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह लगभग साढ़े 6 बजे किन्नरों के बीच मारपीट हो गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक गुट के किन्नर लाठीडंडे से हमला करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित किन्नरने थानेमें शिका यत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि वे शादी समारोह में शुभ नेग लेने आई थीं, लेकिन दूसरे गुट के किन्नरों ने उन्हें रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित किन्नरने यह भी बताया है कि मारपीट में पूनम किन्नरको गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पुलिसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। घटना की जांच की जा रही है।

# आम की अच्छी उत्पादकता के लिए किसानों को सलाह

फतेहपुर। जिला उद्यान अधिकारी डा. रमेश पाठक द्वारा जानकारी दी गयी कि आम की अच्छी उत्पादकता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि आम की फसल को सम-सामयिक हानिकारक कीटों से बचाने हेतु उचित समय पर प्रबन्धन किया जाय। माह जनवरी में अत्यन्त महत्वपूर्ण है, इस माह में गुजिया मिज कीट का प्रकोप प्रारम्भ होता है जिससे फसल को काफी क्षति पहुंचती है। अतएव आम के बागवानों को कीट के प्रकोप के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित सलाह दी जाती है कि गुजिया कीट के शिशु जमीन से निकल कर पेड़ों पर चढ़ते हैं और मुलायम पत्तियों, मजरियों एवं फलों से रस चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। इसके शिशु कीट 1-2 मिमी 0 लम्बे एवं हल्के गुलाबी रंग के चपटे तथा मादा वयस्क कीट सफेद रंग के पंखहीन एवं चपटे होते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए बागों की गहरी जुताई/गुडाई की जाय तथा शिशकीट को पेड़ों पर चढ़ने से रोकने के लिए आम के पेड़ के मुख्य तने पर भूमि से 50-60 से०मी० की ऊँचाई पर 400 गेज की पालीथीन शीट की 50 सेमी० चौड़ी पट्टी को तने के चारों ओर लपेट कर ऊपर व नीचे सुतली से बांध कर पॉलीथीन शीट के ऊपरी व निचली हिस्से पर ग्रीस लगा देना चाहिए जिससे कीट पेड़ों के ऊपर न चढ़ सकें। इसके अतिरिक्त शिशुओं को जमीन पर मारने के लिए दिसम्बर के अन्तिम या जनवरी के प्रथम सप्ताह से 15-15 दिन के अन्दर पर दो बार क्लोरीपाइरीफॉस (1.5 प्रतिशत) चूर्ण 250 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से तने के चारों ओर बुरकाव करना चाहिए।

अधिक प्रकोप की स्थिति में यदि कीट पेड़ों पर चढ़ जाते हैं तो ऐसी दशा में मोनोक्रोटोफॉस 36 ई०सी० 1.0 मिली० अथवा डायमथोएट 30 ई०सी० 2.0 मिली० दवा को प्रति ली. पानी में घोल बनाकर आवश्यकतानुसार छिड़काव करें। इसी प्रकार आम के बौर में लगने वाले मिज कीट मंजरियों, तुरन्त बने फूलों एवं फलों तथा बाद में मुलायम कोपलों में अण्डे देती है, जिसकी सूड़ी अन्दर ही अन्दर खाकर

क्षति पहुंचाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि बागों की जुताई गुडाई की जाय तथा समय से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए फेनिट्रोथियान 50 ई०सी० 1.0 मिली० अथवा डायजिनान 20 ई०सी० 2.0 मिली० अथवा डायमथोएट 30 ई०सी० 1.5 मिली० दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर बौर निकलने की अवस्था पर एक छिड़काव करने की सलाह दी जाती है।

## चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना

फतेहपुर। सहायक श्रमायुक्त फतेहपुर ने बताया कि चेतन चौहान श्रमिक क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान एवं औद्योगिक कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के ऐसे पुत्र पुत्रियां जिनका चयन जिला राज्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हुआ है, उन्हें निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना में आर्थिक सहायता जिला राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर क्रमशः 25 हजार रुपए, 75 हजार रुपए, 1 लाख रुपए प्रति पुत्र पुत्री आर्थिक सहायता देय है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं- श्रमिक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत अधिष्ठान एवं कारखाने में कार्यरत नियोजित हो। श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन मंहगाई भत्ता) 15 हजार रुपए से अधिक न हो। श्रमिक ने अधिष्ठान कारखाने में कम से कम छः माह लगातार सेवा की हो तथा आवेदन करते समय भी सेवारत हो। उक्त योजना का लाभ श्रमिक अथवा श्रमिक की दो पुत्रियों तक ही देय होगा। उक्त योजना का लाभ श्रमिक अथवा श्रमिक के दो बच्चों तक ही देय होगा। इस योजना के अंतर्गत वह खिलाड़ी ही पात्र होंगे, जिनका चयन 23 मार्च, 2021 को अथवा उसके पश्चात हुआ हो। स्वयं महिला श्रमिक के खिलाड़ी होने की दशा में उसे लाभ प्रदान किया जायेगा। आवेदन के समय वांछित अभिलेखों में लाभार्थी के बैंक पासबुक की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति बैंक के आईएफएस कोड के साथ। आश्रित के सम्बन्ध में पुष्टि में राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी अभिलेख की पठनीय छायाप्रति। लाभार्थी पिता एवं माता के आधार कार्ड की पठनीय सत्यापित छायाप्रति। जिला राज्य, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में चयन होने पर मान्यता प्राप्त खेल संघ के पदाधिकारियों का प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति। योजना से सम्बन्धित ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की सत्यापित छायाप्रति जमा करना होगा।



